CARKHARIDOBECHO24.COM
CAR KHARIDO BECHO 24
(A UNIT OF DEVBHOOMI AUXILLARY SERVICES PVT.LTD.)
GET INSTANT MONEY FOR YOUR CAR
आज ही अपनी कार बेचें ! और पाए सही कीमत
100% फाइनेंस और इन्श्योरेन्स की सुविधा उपलब्ध
ROHANIYA,VARANASI - 221108
Mob. : 6394138273
FOLLOW US
T&C Apply

सीएचएस में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर छात्रों का प्रदर्शन, धक्का-मुक्की

- बीएचयू केंद्रीय कार्यालय के बाहर छात्रों की प्रवेश नीति का विरोध
- छात्रों और प्राक्टोरियल बोर्ड के बीच हुई नोकझोंक

जागरण संवाददाता, वाराणसी : बीएचयू के केंद्रीय कार्यालय के बाहर मंगलवार को उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जब बड़ी संख्या में छात्रों ने सेंट्रल हिंदू स्कूल (सीएचएस-बालिका) की प्रवेश नीति के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों और विश्वविद्यालय के प्राक्टोरियल बोर्ड के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का-मुक्की भी देखने को मिली। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रदर्शनकारी छात्रों का मुख्य विरोध सीएचएस की कक्षा-9 में प्रवेश के लिए सीटों की संख्या शून्य किए जाने को लेकर है।

छात्रों का कहना है कि मेधावी छात्रों के लिए प्रवेश के द्वार बंद करना विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गरिमा के खिलाफ है। प्रतिभा के आधार पर प्रवेश न देना मेधावी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। छात्रों ने मांग की है कि या तो कक्षा-9 में अतिरिक्त सेक्शन बढ़ाए जाएं या फिर सभी उपलब्ध सीटों पर पारदर्शी प्रवेश परीक्षा माध्यम से चयन किया जाए। छात्रों का तर्क है कि कोरोना काल से स्थगित कक्षा-6 की प्रवेश परीक्षा को तत्काल बहाल किया जाए।

छात्र प्रतिनिधि सौम्यिस्वर्ड के मामक के अनुसार : बीएचयू प्रशासन ने सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में कक्षा-9 में छात्राओं के प्रवेश को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। साफ किया है कि प्रवेश प्रक्रिया केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नियमों के अधीन है। स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया सौम्यिस्वर्ड द्वारा निर्धारित मानकों पर ही संचालित होती है। सौम्यिस्वर्ड की गाइडलाइंस के मुताबिक एक सेक्शन में 40 विद्यार्थियों की ही क्षमता हो सकती है। सेंट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल में कक्षा-9 में पहले से ही पर्याप्त छात्राएं पढ़ रही हैं, जो सीधे कक्षा नौ में प्रोन्नत होती हैं।

बीएचयू के केंद्रीय कार्यालय में धरना देने पहुंचे छात्रों को परिसर से बाहर करते सुरक्षाकर्मी

सीवर लाइन से मकानों का नहीं हो रहा कनेक्शन

प्रो पुअर पर्यटन विकास योजना : सारनाथ की भौगोलिक स्थिति देखकर नहीं डाली गई सीवर लाइन, ऊपर होने से नहीं हो रहा कनेक्ट

जेपी पांडेय • जागरण

- घरों का पानी सड़कों और आसपास के खाली जमीन पर बह रहे हैं लोग
- खस्ताहाल और सीवरेज व्यवस्था को लेकर सरकार ने बनाई थी बड़ी योजना
- ठेके कंस्ट्रक्शन ने मनमाने तरीके से किया काम, अफसरों ने किया नजरअंदाज

वाराणसी : अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल सारनाथ में प्रो पुअर पर्यटन विकास योजना में करीब 90 करोड़ रुपये से सुंदरीकरण और योजना के तहत डाली गई सीवर लाइन लोगों के लिए अब तक राहत नहीं बन सकी है। करोड़ों की परियोजना जमीन के नीचे तो पहुंच गई, लेकिन मोहल्लों और घरों को उससे जोड़ने का काम अधूरा रह गया है। लोगों के घरों से निकलने वाला गंदा या सीवर का पानी सड़कों, आसपास के खाली जमीन और नालियों में बह रहा है। सीवर लाइन से लोगों के घरों का कनेक्शन नहीं जुड़ने के पीछे मनमाने तरीके से डाली गई सीवर लाइन है। सीवर लाइन सारनाथ की भौगोलिक स्थिति देखकर नहीं डाली गई। नतीजा है कि कई कालोनियों और मोहल्ले नीचे होने के चलते कनेक्शन नहीं हो पा रहे हैं।

बौद्ध अनुयायियों के तीर्थ स्थलों में एक सारनाथ रोज सैकड़ों की संख्या में देसी-विदेशी पर्यटक आते हैं। यहां स्थित धमेख व धर्मराजिका स्तूप, संग्रहालय में रखे पुरातात्विक अवशेष और बौद्ध मंदिरों के चलते यह क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर अपनी अलग पहचान रखता है। ऐसे में स्वच्छता और सीवरेज व्यवस्था को लेकर सरकार ने बड़ी योजना बनाई थी। करीब 90 करोड़ रुपये की लागत से सीवर लाइन बिछाई गई, ताकि घरों और होटलों का गंदा पानी सीधे ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचे और गलियों में जलभराव की समस्या खत्म हो। लेकिन, हकीकत इससे उल्टी नजर आ रही है। सारनाथ के मुख्य मार्गों पर सीवर लाइन डाली गई लेकिन घरों को जोड़ने के लिए जरूरी कनेक्शन नहीं दिए गए।

पर्यटन विभाग की योजना, बीडीए था नोडल : पर्यटन विभाग की योजना को पूर्ण कराने का जिम्मा वाराणसी विकास प्राधिकरण को सौंपा गया था। विकास प्राधिकरण को नोडल बनाने के साथ भुगतान राशि की मानीटरिंग करने की भी जिम्मेदारी थी। समय-समय पर योजना पर सवाल उठते रहे। योजना में अनियमितता मिलने पर डीडीए उपाध्यक्ष ने पहले 10 लाख और बाद में 50 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया लेकिन योजना पर सवालों से बाहर नहीं आ सका।

संबंधित विभाग की ओर से न तो स्पष्ट जानकारी दी गई और न ही कनेक्शन की प्रक्रिया पूरी कराई गई। ऐसे में लोग पुराने नाली और सेप्टिक टैंकों पर ही निर्भर हैं। जनप्रतिनिधि और अधिकारी अब बड़ी योजना से सीवर लाइन डालने का सपना दिखा रहे हैं।
-सुमन मिश्रा, बुढ़ा स्टिटी कालोनी।

सारनाथ में विकास के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद निगरानी और समन्वय की कमी रही। कई स्थानों पर सीवर लाइन डालने के बाद सड़कों की मरम्मत भी ठीक से नहीं की गई। बारिश होने के साथ जगह-जगह सड़कें धंसने लगती हैं जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। **-प्रीतम, सारनाथ।**

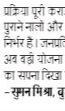
कोई भी योजना बनाने से पहले वहां की भौगोलिक स्थिति देख लेना चाहिए लेकिन अधिकारी ऐसा नहीं करते हैं। नतीजा सामने है, सीवर लाइन डाली जाने के बाद भी कालोनीवासियों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। अब अधिकारी दूसरी योजना से सीवर लाइन डालने की बात कर रहे हैं। **-अजय पांडेय, खजूरी।**

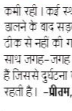
सारनाथ क्षेत्र में नगर निगम और जलकल विभाग की मिली-जुलाई पर सीवर लाइन डाली गई है। क्षेत्रीय लोगों के घरों से कनेक्शन जोड़ने का काम जलकल विभाग को करना है। सीवर लाइन जलकल विभाग की स्थानांतरित हो चुकी है।
-डा. दीपी मिश्रा, सचिव, वाराणसी विकास प्राधिकरण।

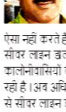
बारिश के दिनों में स्थिति और भी खराब हो जाती है। जगह-जगह नालियां का गंदा पानी सड़क पर बहने लगता है। इससे दुर्गंध के साथ-साथ संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। जब विदेशी पर्यटक गंदगी देखते हैं तो क्षेत्र की छवि पर गलत प्रभाव पड़ता है। होटल और गेस्ट हाउस संचालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
-भाग्य तल्ली राय, बुढ़ा स्टिटी कालोनी।

सारनाथ में हरियाली बचाने पहुंची नगर निगम की टीम

जागरण प्रभाव

- पौधों व गंदगी की सफाई करने के साथ पौधों की छंटाई शुरू कर दी
- क्यारी में गंदगी करने वाले दुकानदारों की दी चेतावनी दर्ज होगा मुकदमा

जागरण संवाददाता, वाराणसी : प्रो पुअर पर्यटन विकास योजना से सारनाथ में सुंदर दिखने के लिए कराई गई हरियाली को बचाने के लिए मंगलवार को नगर निगम की टीम पहुंची। सड़क किनारे क्यारी में पौधे सूखने, उसमें गंदगी होने और कई स्थानों पर बड़े-बड़े पौधों की छंटाई नगर निगम ने शुरू कर दी। वहां क्यारी के पास कचरा करने वालों को चेतावनी तक दी। दीवार करने पर जिला प्रशासन मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। दैनिक जागरण ने 17 फरवरी के अंक में 'जिम्मेदारी की लापरवाही ने हरियाली को पैरों से रौंदा, बना पीक दान' खबर लिखकर व्यवस्था पर सवाल उठाया था। प्रो पुअर पर्यटन विकास योजना से सारनाथ में 90 करोड़ रुपये से कराए गए विकास कार्य में हरियाली प्रमुखता पर थी। कार्यदायी संस्था केके कंट्रक्शन के साथ एजेंसी का हरियाली की जिम्मेदारी दी गई। महंगे पौधों के साथ घास लगाए गए लेकिन समय बीतने के साथ उनका अस्तित्व खत्म होने लगा। इस बीच एजेंसी ने निगम को स्थानांतरित कर दिया। निगम के उद्यान विभाग की टीम ने देखना मुनासिब नहीं समझा। नतीजा सामने रहा, आधे से अधिक पौधे सूख गए। निगम की टीम अचानक सारनाथ पहुंचने के साथ सफाई शुरू कर दी।

17 फरवरी को प्रकाशित खबर • जागरण

सारनाथ में क्यारी की सफाई करती नगर निगम की टीम • जागरण

महिला कर्मचारी पर रुपये हड़पने का आरोप

जासं, वाराणसी : महिला कर्मचारी पर रुपये हड़पने का आरोप लगाते हुए बजरंग नगर, दीलतपुर निवासी अवनीश सिंह ने लालपुर पांडेयपुर थाना में केस दर्ज कराया है। पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि पहड़िया 'ब्राइक बाजार' नाम से पुराने वाहनों का शोरूम संचालित करते हैं। ढाई साल पहले महिला कर्मचारी रुपयों का हिसाब रखती थी। बीते साल जनवरी में खातों का मिलान करने पर 5.6 लाख रुपये की गड़बड़ी मिली। पूछताछ में महिला कर्मचारी ने रुपये लेने की बात स्वीकार की। एक वर्ष में रुपये लौटाने का सुलहनामा किया जिसके तहत उसे प्रतिमाह 30 हजार रुपये देना था। अब झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रही है।

अतिरिक्त सामग्री पढ़ने के लिए स्कैन करें

चार मकानों की हुई रजिस्ट्री

जासं, वाराणसी : दालमंडी सड़क चौड़ीकरण की जद में आए मकानों को तोड़ने के साथ खरीदने का सिलसिला जारी है। मंगलवार को चार मकानों की रजिस्ट्री हुई। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता केके सिंह ने बताया कि चार मकानों की रजिस्ट्री होने संग खरीदे गए मकानों की संख्या 40 हो गई है। 28 करोड़ मुआवजा दिया गया है।

ACCIDENT, TRAUMA, EMERGENCY
आईसीयू, वेंटीलेटर
24 घंटे चिकित्सक
आयुष्मान योजना के अंतर्गत सभी गंभीर बीमारियों का इलाज
रि-लाइफ केयर हॉस्पिटल/ट्रॉमा सेंटर
अवधेशपुर कॉलोनी, रन्वय 2, ग्रामपंचायत, वाराणसी
HELP LINE : 9511050808

Heritage HOSPITALS
यूरोलॉजी संबंधित समस्याओं का उन्नत उपचार
लेजर तकनीकों से किडनी व ब्लैडर स्टोन का सुरक्षित इलाज
मिनिमली इनवेसिव सर्जरी से बढ़े हुए प्रोस्टेट का उपचार
पूरुष स्वास्थ्य व यूटीआई से जुड़ी समस्याओं का प्रभावी इलाज
अनुभवी यूरोलॉजिस्ट व आधुनिक तकनीकों के साथ भरोसेमंद देखभाल
Dr. Shwetank Mishra (MBBS, MS, Mch (Urology))
Dr. Ramesh K. Verma (MS (Gen Surg), MCh (Urology))
Dr. Anant Dixit (MBBS, MS (Gen Surg), DNB (Gen Surg), MCh (Urology))
24/7 EMERGENCY SERVICES 0542-7181911
Lanka, Varanasi | www.heritagehospitals.com

पर्यटकों से छीना-छपटी पर रोक को जेसीपी से मिला अधिवक्ताओं का शिष्टमंडल

जेसीपी आलोक प्रियदर्शी को प्रार्थनापत्र देते अधिवक्ता • जागरण

जासं, वाराणसी: काशी तीर्थ क्षेत्र में छीना-छपटी, जेब कटने आदि की घटनाओं से जुड़ा हो अधिवक्ताओं का एक शिष्टमंडल मंगलवार को सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश सिंह गौतम के नेतृत्व में अपर पुलिस आयुक्त आलोक प्रियदर्शी से उनके कार्यालय में मिला। अधिवक्ताओं ने जेसीपी को दी तहरीर में आरोप लगाया की रविवार को शिवरात्रि की रात में शिवबरात बरात के दौरान जब अत्यधिक भीड़ थी, उसी दौरान जेबकतरे, झपटमार और चोरों का गिरोह भी सक्रिय था। उन्हीं अज्ञात चोरों में से किसी ने मैदागिन स्थित ब्रांस्ज़ की मंदिर के पास शिव बरात देख रहे अधिवक्ता गौतम कुमार झा का मोबाइल उनकी कोट की जेब से चोरी कर लिया।

अपर आयुक्त को दिए प्रार्थनापत्र में कहा गया है कि घटना की सूचना स्थानीय थाने को दी गई तो किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पर जेसीपी ने कोतवाली एसीपी को फोन कर तत्काल कार्यवाही का निर्देश दिया। श्रीकाशी विश्वनाथ धाम जब से नव्य-भव्य स्वरूप में आया दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका लाभ उठाते हुए मैदागिन, चौक, गोदौलिया, दशाश्वमेध समेत धार्मिक महत्व के स्थलों पर झपटमारी और चोरों की सक्रियता बढ़ गई है जो तीर्थयात्रियों को आसान टारगेट समझकर उन्हें निशाना बनाते हैं।शिष्टमंडल में सेंट्रल बार अध्यक्ष प्रेम प्रकाश सिंह गौतम, महामंत्री आशीष सिंह, सुरेन्द्रनाथ पांडेय, अंकुर प्रकाश, विनय राय, मुन्ना राय, अभय सिंह, गौतम कुमार झा आदि थे।

कार्यालय कलेक्टर/लाइसेंस प्राधिकारी, मीरजापुर

विज्ञप्ति

वित्तीय वर्ष 2026-27 की आबकारी नीति विषयक शासनादेश संख्या 9/2026/82 ई-2/तेरह-2026- 01/2026-2018003 दिनांक 12.02.2026 एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के अर्धशासकीय पत्र संख्या- 2443-518/ दरा-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति (संशो)/2026-27 दिनांकः 12.02.2026 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद मीरजापुर में वर्ष 2026-27 हेतु देशी मदिरा, कम्पोजिट दुकान एवं भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन दिनांक 16.02.2026 से प्रारम्भ होगा। सर्वप्रथम वर्ष 2025-26 में व्यवस्थित एवं नवीनीकरण के लिए अर्ह पायी गयी दुकानों के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र दिनांक 18.02.2026 (समय मध्यान्ह 12:00 बजे) से दिनांक 23.02.2026 को सांय 05:00 बजे तक ई-लाटरी पोर्टल https://exciseelotteryup.upsdc.gov.in पर आनलाइन आमंत्रित किये जाते हैं। आनलाइन नवीनीकरण के पश्चात जनपद के अवशेष मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन ई-लाटरी के प्रथम चरण के माध्यम से दिनांक 10.03.2026 (समय 12:00 बजे मध्यान्ह) से किया जायेगा।

जनपद में मदिरा एवं भांग की फुटकर बिक्री की दुकानों का नवीनीकरण एवं अवशेष दुकानों को ई लाटरी के माध्यम से प्राप्त करने हेतु इच्छुक एवं अर्ह आवेदक जनपद की दुकानों की सूची अन्य आवश्यक विवरण एवं शर्तें कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी मीरजापुर, जनपद की वेबसाइट www.mirzapur.nic.in तथा ई-लाटरी पोर्टल https://exciseelotteryup.upsdc.gov.in पर देखी जा सकती है।

(ज्ञानेन्द्र नाथ पाण्डे)
जिला आबकारी अधिकारी,
मीरजापुर।

(पवन कुमार गंगवार)
कलेक्टर/लाइसेंस प्राधिकारी
मीरजापुर।

विज्ञप्ति संख्या-1930/व्यवस्थापन/2026-27/ मीरजापुर/ दिनांकः- 16.02.2026

यूको बैंक

आंचलिक कार्यालय : धनश्री कॉम्पलेक्स, प्रथम तल, डी-63/8-एम, तुलसीपुर, महमूरगंज, वाराणसी

ई-नीलामी बिक्री सूचना (सरफेसी एक्ट 2002 के तहत)

बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने प्रतिभूतिकरण वित्तीय आस्ति का पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति ब्याज का प्रवर्तन अधिनियम - 2002 (SARFAESI ACT - 2002) की धारा 13(2) सहपठित नियम 5, 6, 7, 8, और 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बैंक के पास साम्पिक कांक सही गई निम्नलिखित संपत्ति के संकं में मांग-नोटिस जारी करने के उपरांत उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए संपत्तियों को कब्जे में ले लिया है और अब प्राधिकृत अधिकारी उक्त संपत्तियां को "जो है, जैसा है, जहां है" के आधार पर यथास्थिति ई-नीलामी द्वारा बिक्री करने हेतु निविदा https://baanknet.com पर आमंत्रित करते हैं।

क्र. सं.	शाखा का नाम ऋणी का नाम व बचकाकर्ता का नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	कब्जा तिथि/ कब्जा की वस्तु-स्थिति (वास्तविक/प्रतीकात्मक)	न्यून सूचना की तिथि व बकाया राशि	आरक्षित मूल्य / अग्रिम मूल्य / निविदा बढ़ोतरी राशि	प्राधिकृत अधिकारी का विवरण	ई-नीलामी की तारिख व समय
1	**शाखा : गलछिया (2204)** **ऋणी : 1- श्रीमती शशी लोहिया पत्नी अशोक कुमार लोहिया** सी-37/765, सी-7, मलमूरगंज, विरेशपुर, वाराणसी-221010 (उ0प्र0) **2- श्री कौशलुब लोहिया पुत्र अशोक कुमार लोहिया** सी-37/765, सी-7, मलमूरगंज, विरेशपुर, वाराणसी-221010 (उ0प्र0)	17.11.2025 (प्रतीकात्मक) **सीमाएं:** उत्तर: एक सड़क/ भाग जिसमें 1804.24 वर्ग फीट (Approx as per sale deed) की भूमि एवम भवन शामिल है जो श्रीमती शशि लोहिया के नाम से **(डी0-1, फ्लाट नं0 14, क्षेत्रफल-427,** बनी संख्या-, एरिया संख्या 2675, मत नं0 1 से 30 तक कालूमूरगंज मे 427 दिनांक 28.02.2015 को उप-निबंधक-तृतीय वाराणसी कार्यालय में पंजीकृत है, **(डी0-2, फ्लाट नं0 15, क्षे0 फी0-426,** बनी संख्या 1, खाता संख्या 2674, पृष्ठ संख्या 389-418, कालूमूरगंज संख्या 426, दिनांक 28.02.2015 को उप-निबंधक-तृतीय वाराणसी कार्यालय में पंजीकृत है) जो कि फ्लाट नं0 14 एवं 15 (आगामी 96.-1 एवं 96 मीटर) सरकारी निर्माण विभाग, जिला वाराणसी द्वारा निर्माण है। **पूर्वः** जनीश राम विकास एवं जगमूं विश्वकर्मा, **पश्चिमः** 30 फीट कच्चा रास्ता, **उत्तरः** अनंत कोलूमूरगंज लोहिया, **दक्षिणः** फ्लाट नं0 15-शशि लोहिया, **चौहद्दी का विवरण (डी0-2 क्रमांक 426 के अनुसार) : पूर्वः** जनीश राम विकास एवं जगमूं विश्वकर्मा, **पश्चिमः** 30 फीट कच्चा रास्ता, **उत्तरः** फ्लाट नं0 14- श्रीमती शशि लोहिया, **दक्षिणः** मांग एवं दमाम का मकान	02.09.2025 से 50,22,784.00 (दिनांक 01.09.2025 तक की ब्याज सहित व शुल्क आदि व अन्य खर्च)	रू. 135.26 लाख रू. 13.53 लाख रू. 0.10 लाख	प्राधिकृत अधिकारी श्री अमित चावला मो0 : 9147404461	24.03.2026 प्रातः 10.00 से सायं 05.00 तक

नीलामी से सम्बन्धित नियम व शर्तों के लिए यूको बैंक की संबंधाइट https://uco.bank.in या पीएसबी आलियन्स का ई सेवा के माध्यम https://baanknet.com को देखें।

नोट : यदि प्रकाशित विज्ञापन में कोई त्रुटि हो जाती है तो अखेरी समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन को सही माना जाये।

दिनांक : 18.02.2026, स्थान : वाराणसी / अंग्रेजी विज्ञापन दि टाइम्स ऑफ इण्डिया में प्रकाशित। प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक

कार्यालय कलेक्टर/लाइसेंस प्राधिकारी, वाराणसी।

विज्ञप्ति

वित्तीय वर्ष 2026-27 की आबकारी नीति विषयक शासनादेश संख्या-09/2026/82-ई-2/तेरह-2026-01/2026-2018003 दिनांक 12.02.2026 एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 2443-518 दिनांक 12.02.2026 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद वाराणसी के वर्ष 2026-27 हेतु देशी मदिरा, कम्पोजिट दुकान, माडलशॉप एवं भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन दिनांक 18.02.2026 से आरम्भ होगा। सर्व प्रथम वर्ष 2025-26 में व्यवस्थित एवं नवीनीकरण के लिये अर्ह पायी गयी दुकानों के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र दिनांक 18.02.2026 समय 12:00 बजे से दिनांक 23.02.2026 समय 05:00 बजे तक ई-लाटरी पोर्टल https://exciseelotteryup.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाइन नवीनीकरण के पश्चात जनपद की अवशेष दुकानों का व्यवस्थापन ई लाटरी के प्रथम चरण के माध्यम से दिनांक 10.03.2026 समय 12:00 बजे से किया जायेगा।

जनपद में मदिरा एवं भांग की फुटकर बिक्री की दुकानों का नवीनीकरण एवं अवशेष दुकानों को ई-लाटरी के माध्यम से प्राप्त करने के इच्छुक एवं अर्ह आवेदक जनपद की दुकानों की सूची, अन्य आवश्यक विवरण एवं शर्तें जनपद की वेबसाइट varanasi.nic.in तथा ई-लाटरी पोर्टल https://exciseelotteryup.upsdc.gov.in पर देख सकते है।

(कमल कुमार शुक्ल)
जिला आबकारी अधिकारी,
वाराणसी

(सत्येन्द्र कुमार)
जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी
वाराणसी

पत्रांक-4295/जि0आ0अ0/व्यवस्थापन/2026-27 वाराणसी दिनांक : जनवरी 16, 2026